



ONE RUPEE

73

क्र-3853/III/14

राजस्व निगरानी क्रमांक/2014-15

21-11-14 कौशिल्या सिंह पत्नी मणिराज सिंह उम्र 45 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भरुही

बिनाद भार्गव बहरी जिला सीधी म0प्र0

आवेदिका

नाम दाय प्रस्तुत

बनाम,

1- रामकृपाल तनय घुरऊ नाई उम्र 55 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भरुही

2- राम प्रसाद तनय घुरऊ नाई उम्र 58 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भरुही

तहसील बहरी थाना बहरी जिला सीधी म0प्र0

3- मध्यप्रदेश शासन

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपबनास/ सिहाबल जिलासीधी मध्यप्रदेश प्रकरण 70/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10.6.2014

निगरानी अन्तरगत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

1- यहकि ग्राम भरुही तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0 में स्थित भूमि खसरा क्रमांक- 115 रकवा 0.74 एवं 119 रकवा 0.53 आवेदिका के स्वत्व एवं अधिपत्य की पैतृक भूमियां हैं जिसका गत बन्दोबस्त में अभिलेख त्रुटिपूर्ण हो जाने की जानकारी होने पर आवेदिका के द्वारा उक्त भूमि के नक्शा एवं अभिलेख की त्रुटि का सुधार किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान् सहायक बन्दोबस्त अधिकारी दल क्रमांक-3 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे उक्त न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण प्रकरण क्रमांक- 4/अ-6-अ/89-90 के रूप में पंजीबद्ध किया जाकर सिधिवत जांच उपरान्त दिनांक 2.9.90 को आदेश पारित कर उक्त भूमियों

3

विनाद भार्गव (रा.प्र.)
बिनाद भार्गव का नाम पर आवेदिका

विनाद भार्गव
उपस्थित
21-11-14

73

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3853-तीन/2014

जिला-सीधी

कौशिल्या सिंह विरुद्ध रामकृपाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास/सिहाबल, जिला-सीधी के प्रकरण क्रमांक 70/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19</p>